उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियाँ तथा प्रमुख संवैधानिक प्रावधान

***दीपक**

'भारतीय समाज में विभिन्न सजातीय, धार्मिक, भाषायी और क्षेत्रीय समूहों का न केवल एक संकलन है वरन् प्रत्येक समूह अपनी ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं में विभेदीकरण के संदर्भ में बहुत जटिल भी है। भारतीय समाज में निरन्तरता और परिवर्तन के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है जीवन के प्रतिमानों जीवन प्रणालियों, प्रबन्ध व्यवस्थाओं, विरासत और उत्तराधिकारों के नियमों और जीवन यात्रा संस्कारों में विभिन्नताएँ परिलिक्षित होती है।'[1]

अनुसूचित जातियाँ :

दलित (शूद्र) कौन है और कब से तथा किन कारणों से उनकी पतन की स्थिति बनी। वैदिक साहित्य जिसमें वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, पूर्व उपनिषद आदि है, में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता जिसके आधार पर यह कहा जाये कि शूद्र जाति पूर्व या आदि काल में विद्यमान थे। ऋग्वेद (द्वितीय शताब्दी या लगभग 1500 ई0 पू0) में आर्यों में केवल तीन जातियाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का ही उल्लेख मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि शूद्र जाति की रचना आर्यों द्वारा ऋग्वेद के अंतिम चरण में की गई है। (कम्बले 1978:8) फिर भी दत्त (1931) और आम्टे (1954) जैसे विद्वान भी है जो यह मानते है कि 'शूद्र वर्ग' ऋग्वेद में भी ज्ञात थे। यदि शूद्र शब्द का उल्लेख नहीं मिलता तो इसका अर्थ नहीं है कि शूद्र नहीं थे। ब्राह्मण में कई बार शूद्र का उल्लेख ब्राह्मणों के साथ मिलता है, क्षत्रिय और वैश्यों का भी उल्लेख है, यह सब इण्डो आर्यन समाज के अभिन्न अंग थे ब्राह्मण के मूल ग्रंथ में शूद्रों को निम्नत्तम स्थान प्रदान किया गया और उन्हें ब्राह्मणें के बलि धर्म से पृथक ही माना गया। ऐसा सम्भवतः इसलिए है कि आर्यों से प्रजाति एवं संस्कृति में भिन्न थे। काम्बले के अनुसार वे न केवल आर्यों के देवताओं का विरोध करते थे, बल्कि वे बलि भी नहीं देते थे ओर न ही पुरोहितों को भेंट आदि ही देते थे इन दासों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग आर्यों ने किया वे हैं, अन्यवृत, अँस, मृर्ध्वक।[2]

सामान्यतः अनुसूचित जातियों को अस्पृश्य जातियाँ भी कहा जाता है। अस्पृश्यता का तात्पर्य है जो छूने योग्य नहीं है। अस्पृश्यता एक ऐसी धारणा है जिसके अनुसार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छूने, देखने और छाया पड़ने मात्र से अपवित्र हो जाता है सवर्ण हिन्दुओं को अपवित्र होने से बचाने के लिए अस्पृश्य लोगों के रहने के लिए अलग से व्यवस्था की गयी उन पर अनेक निर्योग्यताएं लाद दी गई और अनेक सम्पर्क से बचने के कई उपाय किये गये। अस्पृश्यों के अन्तर्गत वे जाति समूह आते हैं जिनके छूने से अन्य व्यक्ति अपवित्र हो जाये और जिन्हें पुनः पवित्र होने के कुछ विशेष संस्कार करने पड़े। इस सम्बन्ध में डॉ एन के शर्मा ने लिखा है ''अस्पृश्य वे है जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाये और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करने पड़े। ''आर एन सक्सेना ने इस बारे में लिखा है कि यदि ऐसे लोगों को अस्पृश्य माना जाए जिनके छूने से हिन्दुओं को शुद्धि करनी पड़े तो ऐसी स्थिति में हट्टन के एक उदाहरण के अनुसार ब्राह्मणों को अस्पृश्य मानना पड़ेगा क्योंकि दक्षिण भारत में होलिया जाति के लोग बाह्मण को अपने गाँव के बीच से नहीं जाने देते हैं। और यदि वह चला जाता है तो वे लोग गाँव की शुद्धि करते है। स्पष्ट है कि अस्पृश्यता के निर्धारण में छूने मात्र से अपवित्र होने की बात पर्याप्त नहीं है। डॉ. डी0एन0 मजूमदार के अनुसार, ''अस्पृश्य जातियाँ वे है जो विभिन्न सामाजिक एवं राजनैतिक निर्योग्यताओं से पीड़ित है, जिनमें बहुत सी निर्योग्यताएं उच्च जातियों द्वारा परम्परागत रूप से निर्धारित और सामाजिक रूप से लागू की गई है।'' स्पष्ट है कि अस्पृश्यता से सम्बन्धित कई निर्यौग्यताएं या समस्याएं है।[1]

अनुसूचित जाति शब्द साइमन कमीशन द्वारा 1935 में प्रयोग किया गया था जो कि अस्पृश्य लोगों के लिए प्रयोग में लाया गया। अम्बेडकर के अनुसार आदिकालीन भारत में इन्हें 'भग्न पुरूष' या 'बाह्य जाति' माना जाता था। अंग्रेज उन्हें 'दलित वर्ग' कहते थे। महात्मा गांधी ने उन्हें 'ईश्वर के बालक' की संज्ञा से पुकारा। अस्पृश्य जाति में शिक्षित लोगों ने इस

*शोध छात्र, अर्थशास्त्र विभाग,कु0वि0 विद्यालय नैनीताल, उत्तराखण्ड

नामकरण को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे सोचते थे कि ईश्वर के बालक' कहकर असमानता को जन्म देने वाली व्यवस्था को समाप्त करने की अपेक्षा उनकी दशा में सुधार लाने के प्रयत्न किए जा रहे थे। (राय बर्मन 1977:82) भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भी साइमन कमीशन द्वारा गढ़े गए शब्द का प्रयोग किया। साइमन कमीशन ने किसी जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने के लिए 13 आधार बताए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार से हैं :–

- क्या वह जाति को अपने स्पर्श या निकटता से अपवित्र करती है?
- क्या वह जाति मंदिरो में प्रवेश नहीं कर सकती ?
- क्या वह जाति स्कूलों, कुँओं और अन्य सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग से वंचित की जाती है?
- क्या उस जाति के लिए ब्राह्मण, पुरोहित का कार्य कर सकते हैं?
- क्या उस जाति के लिए धोबी, दर्जी, नाई, कुम्हार आदि कार्य कर सकते हैं?
- क्या वह जाति ऐसी है जिसके हाथ से हिन्दू पानी ले सकता है?
- क्या उस जाति का शिक्षित व्यक्ति सामाजिक आदान प्रदान में उच्च जाति के व्यक्ति द्वारा समान समझा जाएगा?
- क्या वह व्यक्ति अपने ही अज्ञानता, अशिक्षा व गरीबी के कारण दलित है और क्या इनके (अज्ञानता, अशिक्षा व गरीबी) न होने से वह सामाजिक रूप से निर्योग्य नहीं हो सकती?
- क्या वह जाति अपने व्यवसाय के कारण दलित मानी जाती है?[1]

अनुसूचित जाति अथवा शिल्पी वर्ग की विभिन्न उपजातियों का उल्लेख एटकिन्सन (1886 :446 –46) पाण्डे (1937 : 618 – 21) और सनवाल (1976 : 38) ने किया है जिनमें से अनेक की पुष्टि अभिलेखीय साक्ष्यों (अभि. सं. 31, 39, 43, 47, 54, 65, 83, तथा बही क्र. 1 पृ. 9–11 क्र. पृ. 18) से भी होती है। कुछ व्यवसायगत जातियों के उदाहरण निम्नवत् है –

कोली – बिनाई का कार्य करने वाले बुनकर। राजा के यहाँ कार्य करने वाली राजकोली कहलाता था।

टमटा – ताम्र कार्य करने वाला।

लौहार – लौह कार्य करने वाला।

भूल – तेल निकालने का कार्य करने वाला (तेली)।

रूड़िया – रिंगाल का कार्य करने वाला।

चिमड़िया – चिमड़िया या चिमारी लकड़ी के बर्तन बनाते थे।

आगरी – धातु की खानों में कार्य करने वाला।

बजनियाँ – बाजा बजाने वाला।

बखरिया – एटकिन्सन तथा बद्रीदत्त पाण्डे ने इसे घोड़े का रईस बताया है।

बाजदार – बाज पक्षी रखने व प्रशिक्षण देने वाला।

हनकिया – मिट्टी के बर्जन बनाने वाला।

तुरि – तुरि या तुरी अथात् एक प्रकार का बाजा इससे सम्बन्धित या इसे बजाने वाला।

चमार – चर्म का कार्य करने वाला इसे मिरासी भी कहा गया है।

हुड़कीवादी – हुड़का बजाकर अपनी हुडक्याड़ी के नृत्य से लोक मनोरंजन करने वाला।

औजी – औजी (दरजी) कपड़े सिलने का कार्य करने वाला।

रास – जागर लगाने वाला।

ढोली – ढोल (एक प्रकार का वाद्य) बजाने वाला।

दमाई – दमौ (एक वाद्ययंत्र) बजाने वाला।

पारकी – पत्तों का कार्य करने वाला।

तिरूवा – तीर बनाने वाला।

बारूड़ी – बाँस का कार्य करने वाला।

बागुड़ी – जंगली जानवरों का शिकार करने वाला।

उपरोक्त[1] जातियों में रोटी बेटी का सम्बन्ध प्रायः अपने ही समुदाय में होता था। जैसे लोहार का लोहार से तथा टम्टा जाति का टमटा से, इसका मुख्य कारण अपने समान व्यवसाय करने वाले परिवार से सम्बन्ध स्थापित करने से वह व्यवसायिक सुविधा होती थी।

महात्मा गांधी ने यद्यपि अनुसूचित जातियों की समस्याओं को 1924 से ही उठाया था किन्तु उससे पूर्व भी कुछ प्रयत्न किए गए थे उनमें से प्रमुख प्रयत्न था 1916–1922 के बीच दलित वर्ग में शिक्षा को प्रोत्साहन देना। अस्पृश्यता निवारण के लिए कुछ कार्य एवं योजनाएँ बनाई गई थी तथा दुकानों एवं पूजा स्थलों में उनके प्रवेश के उद्देश्य से 1922 में चलाए गए बारदाली कार्यक्रम में भी अस्पृश्यों के उत्थान का ही उद्देश्य था। 1932 में अस्पृश्यों की सामाजिक निर्योग्यताओं के निवारण हेतु अनुसूचित जाति सेवक संघ संगठित किया गया था।[2]

अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षार्थ अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय आयोग के रूप में एक कार्य व्यवस्था का सज्जन किया गया है। यह आयोग अनुसूचित जातियों, जनजातियों के उत्थान के लिए नीतियों एवं प्रकरणों पर कार्य करने हेतु सलाहकार समिति के रूप में गठित किया गया हैं। उसमें सामाजिक मानवशास्त्र, सामाजिक कार्य तथा अन्य समाज विज्ञानों के विशेषज्ञ सम्मिलित हैं। इसके प्रमुख कार्य इस प्रकार है।

- अस्पृश्यता की सीमा तथा उससे उत्पन्न सामाजिक भेदभाव एवं वर्तमान उपायों की प्रभावशीलता का अध्ययन करना।
- अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के प्रति किए गए अपराधों एवं सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन करना।
- समाज की मुख्यधारा में एकीकरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति, जनजाति के विकास के विविध पक्षों का अध्ययन करना

यह आयोग इनके कल्याण सम्बन्धी कार्यों की देखभाल के लिए प्रत्येक राज्य में एक पृथक विभाग के रूप में कार्यरत है। इस आयोग में एक अध्यक्ष तथा ग्यारह अन्य सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल तीन वर्ष का होता है। आयोग का प्रशासनिक संगठन प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न हैं। इन लोगों के कल्याण के प्रोत्साहन का कार्य कुछ स्वैच्छिक संगठन भी करते हैं। अखिल भारतीय स्तर के कुछ प्रमुख संगठन हैं : अनुसूचित जाति सेवक संघ दिल्ली, हिन्दू भंगी सेवक संघ नई दिल्ली और भारतीय आदिम जाति सेवक संघ नई दिल्ली।

संवैधनिक प्रावधान :

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के *संविधान* में भी अनुसूचित जातियों और साथ में अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ी जातियों की सामाजिक निर्योग्यताओं के निवारण हेतु तथा विविध हितों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कुछ प्रावधान किए गए थे। महत्पवूर्ण प्रावधान हैं *अनुच्छेद*[2] *15 (1)* में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म, स्थान, अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। दुकानों, सार्वजनिक, मनोरंजन

के स्थानों पर प्रवेश करने और साधारण जनता के उपयोग के लिए बने कुँओं, तालाबों, स्नानघरों, सड़कों आदि के प्रयोग से कोई किसी को नहीं रोकेगा।

अनुच्छेद 15 (4) में आरक्षण तथा *अनुच्छेद 16 (4)* में आर्थिक विकास की गारण्टी दी गई है। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पष्यता का अन्त कर उसका किसी भी रूप में प्रचलन निषिद्ध कर दिया गया है।

अनुच्छेद 19 के आधार पर अस्पृश्यों की व्यावसायिक निर्योग्यता को समाप्त किया जा चुका है और उन्हें किसी भी व्यवसाय को अपनाने की आजादी प्रदान की गयी है। अनुच्छेद 29 के अनुसार राज्य द्वारा पूर्ण तथा आंशिक सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्था में किसी नागरिक को धर्म, जाति, वंश, अथवा भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। अनुच्छेद 25 में हिन्दुओं की सार्वजनिक धार्मिक स्थानों के द्वार सभी जातियों के लिए खोल देने की व्यवस्था की गयी हैं।

अनुच्छेद' 46 में कहा गया है कि राज्य दुर्बलतर लोगों जिनमें अनुसूचित जातियाँ, आदिम जातियाँ आती हैं की शिक्षा सम्बन्धी तथा आर्थिक हितों की रक्षा करेगा और सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय एवं शोषण से उनको बचायेगा। *अनुच्छेद 330, 332* और *334* के अनुसार अनुसूचित जातियाँ तथा आदिम जातियों के लिए संविधान लागू होने 20 वर्ष तक लोकसभा, विधानसभा ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों में स्थान सुरक्षित रहेंगे। बाद में यह अवधि दस दस वर्ष के लिए तीन बार बढ़ा दी गयी। *अनुच्छेद 335* में कहा गया है कि संघ या राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवाओं एवं पदो ंके लिए नियुक्तियाँ करने में अनुसूचित जातियों के हितों का ध्यान रखा जायेगा।

अनुच्छेद 146 एवं *338* के अनुसार, अनुसूचित जातियों के कल्याण एवं हितों की रक्षा के लिए राज्य में सलाहकार परिषदों एवं पृथक पृथक विभाग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि राष्ट्रपति अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त करेगा। इन संवैधानिक व्यवस्थाओं के द्वारा अस्पृश्यता निवारण एवं अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के उत्थान का सरकार के द्वारा विशेष प्रयत्न किया गया है।

संदर्भ

1. शर्मा, के. एल. (2006) 'भारतीय सामाजिक संरचना एवं परिवर्तन' रावत पब्लिकेशन जयपूर एवं दिल्ली।
2. आहूजा, राम (2004) 'भारतीय सामाजिक व्यवस्था' रावत पब्लिकेशन जयपुरदई दिल्ली पृ0 320।
3. गुप्ता एण्ड शर्मा, (2007) 'समाजशास्त्र प्रतियोगिता साहित्य' साहित्य भवन पब्लिकेशन पृ0 413–414।
4. आहूजा, राम (2004) पूर्वोक्त प0 321।
5. नेगी, डॉ0 विद्याधर सिंह (2011) ' कुमाऊँ का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास' मल्लिका बुक, नई दिल्ली प0 93–95।
6. आहूजा, राम (2004) पूर्वोक्त प0 325।
7. गुप्ता एण्ड शर्मा (2007) पूर्वोक्त पृ0 416–417।